"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2019 — श्रावण 30, शक 1941

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/2019/26. — छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 (2016 का 18) की धारा 3 एवं 4 के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित योजनाओं (जो इसमें इसके पश्चात "योजनाओं" के रूप में निर्दिष्ट है, परिशिष्ट-एक के अनुसार) में छत्तीसगढ़ की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है.

2. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से एतद्द्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे.

(2) यदि योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति ने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है और वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उससे 01-10-2019 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा तथा ऐसा व्यक्ति, आधार के लिए नामांकन प्राप्त करने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा.

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को प्रसुविधा देने के लिये नामांकन सुविधा का प्रस्ताव (ऑफर) देने की अपेक्षा है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, अतएव, ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा जिला आधार नामांकन केन्द्रों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अध्यधीन रहते हुए, योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान करायी जायेंगी, अर्थात :-

(क) (एक) यदि वह आधार नामांकित है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(दो) आधार नामांकन के लिए उनके द्वारा दी गई अनुरोध की प्रति, और

(ख) (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या

(चार) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(पांच) पासपोर्ट; या

(छः) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राईविंग लाइसेंस; या

(सात) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या

(आठ) किसान फोटो पासबुक; या

(नौ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कार्ड; या

(दस) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या जिला कार्यालय के अभिहित प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

3. (1) हितग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं भी करेंगे, अर्थात्:–

(एक) हितग्राहियों को योजनाओं के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु मीडिया के माध्यम से प्रचार तथा विकासखण्ड कार्यालयों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक रूप से सूचना देना;

(दो) यह भी परामर्श देना कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन करायें।

(तीन) उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें प्रदाय कराना ।

4. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से सभी जिलों में प्रभावी होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, सचिव.

परिशिष्ट–एक
योजनाओं की सूची

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं –
   - 1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
   - 1.2 सुखद सहारा योजना
   - 1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना
2. तीरथ बरत योजना
3. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना
4. दिव्यांगजन/वरिष्ठ नागरिक/तृतीय लिंग के व्यक्तियों का सर्वेक्षण
5. दिव्यांगजन के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय/अशासकीय संस्थाएं
6. कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना
7. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
8. शिक्षा प्रोत्साहन योजना
9. छात्रगृह योजना

Atal Nagar, the 20th August 2019

NOTIFICATION

No. F 4-2/2019/26.— In pursuance of the provisions of Section 3 and 4 of the Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial Services and other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018, the State Government, hereby, notifies the following, namely:—

1. The Schemes (hereinafter reffered to as 'Schemes', as per Annexure-I) conducted under the Department of Social Welfare involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of Chhattisgarh.

2. (1) An individual desirous of benefit under schemes is hereby expected to furnish proof of possession of the Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) In case an individual desirous of getting benefit under schemes has not yet enrolled for Aadhaar and he or she is intitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016), he or she is required to make application for Aadhaar enrolment by 01.10.2019, and such individuals may visit any Aadhaar Enrollment Centers (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) Beneficiaries as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 is required to offer enrollment facilities for providing benefits, who have not yet enrolled for Aadhaar, therefore, the State Government may provide Aadhaar enrollment facilities to such beneficiaries at convenient locations in collaboration with the District Aadhar enrolment Centres:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to any individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

a. (i) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
   (ii) A copy of his request made for Aadhaar enrollment, and
b. (i) The voter identity card issued by the Election Commission of India; or
   (ii) Ration Card; or
   (iii) Bank passbook with photograph; or

(iv) The Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(v) The Passport; or

(vi) The driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) The certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(viii) The Kisan Photo Passbook; or

(ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or

(x) Any other document specified by the State Government.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or District Office for that purpose.

3. (1) In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Department of Social welfare under the scheme, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(i) Wide publicity through media and individual notices through the Block Offices or Gram Panchayat shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme;

(ii) They may be also advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Enrollment Centre available in their areas, in case they are not already enrolled, and

(iii) The list of locally available Enrollment Centre shall be made available to them.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the all Districts.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Secretary.

ANNEXURE -I

LIST OF SCHEMES

1. Schemes under Social Assistance Programme -

   1.1 Social Security Pension Scheme.

   1.2 Sukhad Sahara Scheme.

   1.3 Mukhyamantri Pension Scheme.

2. Teerath Barat Yojana.

3. Scholarship Scheme for the Person with Disabilities (PwDs)

4. Survey of Person with Disabilities/Senior Citizen/Third Genders.

5. Government/Non Government institutions for education and training of Person with Disabilities (PwDs)

6. Scheme of Distribution of Artificial Limb and Assistive Appliances.

7. Civil Services Encouragement Scheme.

8. Education Encouragement Scheme.

9. Chhatragrih Scheme.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.